महत्वपूर्ण एवं खास

छेड़-छाड़ का आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना चक्रधरनगर के अपराध क्रमांक 266/19 धारा-354,294,506 भा.द.वि. का आरोपी मंगल खड़िया पिता सुदर्शन उम्र 25 वर्ष निवासी संबलपुरी थाना चक्रधरनगर, कई दिनों से गिरफ्तारी के भय से लुक छिप रहा था जिसे मुखबिर सूचना पर चक्रधरनगर स्टाफ द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

युवती से दुष्कर्म के मामले में राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। चौकी खरसिया में 24 वर्षीय युवती द्वारा नगरपालिका खरसिया में राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत विकास भोय के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता बताई कि नगर पालिका खरसिया आने जाने के दौरान विकास भोय से परिचय हुआ है। इस दौरान विकास शादी करूंगा कहकर पिछले 04 माह से घर में बुलाकर शारीरिक संबंध बना रहा है। दिनांक 10.1019 को विकास शादी करने से साफ इंकार कर दिया। पीड़िता के इस आशय के लिखित आवेदन पत्र पर थाना (चौकी) खरसिया में अपराध क्रमांक 436/19 धारा 376 भादवि पंजीबद्ध कर आरोपी विकास भोय उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम चारमार थाना घरघोड़ा हाल मुकाम भाजपा कार्यालय के पीछे खरसिया को आज गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया है।

मोटरसाइकिल पर महुआ शराब लेकर आते 2 व्यक्तियों को चौकी कनकबीरा पुलिस ने पकड़ा

न्याय साक्षी/रायगढ़। चौकी प्रभारी कनकबीरा एवं हमराह स्टाफ द्वारा रात्रि करीब 09:00 बजे कपरतुंगा भालूपानी रोड चौक पर आरोपीगण 1. सत्यनारायण बरिहा पिता डोंगर बरिहा उम्र 28 वर्ष साकिन छातादेई चौकी कनकबीरा थाना सारंगढ जिला रायगढ (छ.ग.) 2. धनुर्जय बरिहा पिता कार्तिकराम बरिहा उम्र 40 वर्ष साकिन छातादेई चौकी कनकबीरा को प्लेटिना मोटर सायकल क्रमांक सीजी 06 जी- 2098 में महुआ शराब लेकर आते पकड़े आरोपियों से 07 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है, आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

सिंगल यूज प्लास्टिक कवर लगा गुलदस्ता से कलेक्टर का स्वागत करना अफसरों को महंगा पड़ा

» कलेक्टर ने फटकार लगाते हुए दोनों अफसरों पर दो-दो हजार रूपये का जुर्माना लगाया

बेमेतरा (आरएनएस)। सिंगल यूज प्लास्टिक से कवर लगे गुलदस्ते से जिला कलेक्टर का स्वागत करना दो अफसरों को महंगा पड़ा। कलेक्टर ने दोनों अफसर को ना केवल जमकर फटकार लगाई, बल्कि दो-दो हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। जिले की कलेक्टर शिखा तिवारी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लोकवाणी कार्यक्रम में हिस्सा लेने गुधेली ब्लॉक गई थी, वहां महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी राजकुमार जामुलकर और बेरला के परियोजना अधिकारी सरल कुमार ने जिस फुलों के गुलदस्ते से कलेक्टर का स्वागत किया, वह सिंगल यूज प्लास्टिक से ढंका हुआ था। इस पर कलेक्टर जमकर नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक जब प्रतिबंधित हो गया है तो अफसरों को इसका ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने दोनों अफसरों पर दो-दो हजार रूपये जुर्माना लगाते हुए जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को पूर्णतः पालन कराया जाने के निर्देश दिए।

सत्य साईं संजीवनी अस्पताल परोपकार एवं निःस्वार्थ सेवा का अनूठा उदाहरण : सुश्री उइके

» राज्यपाल पीडियाट्रिक कार्डियक सोसायटी ऑफइंडिया के वार्षिक सम्मेलन में हुई शामिल

रायपुर (आरएनएस)। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके आज नवा रायपुर, अटल नगर स्थित सत्य साई संजीवनी अस्पताल में आयोजित दो दिवसीय पीडियाट्रिक कार्डियक सोसायटी ऑफइंडिया के 20वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुई। राज्यपाल ने सत्य साई संजीवनी अस्पताल में नवनिर्मित ब्लड बैंक और इम्पेक्ट असेसमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने अस्पताल का अवलोकन किया और ऑपरेशन के बाद स्वस्थ हो चुके बच्चों से मुलाकात की। राज्यपाल सुश्री उइके ने अपने संबोधन में कहा कि सत्य साई बाबा कहते थे कि मनुष्य का शरीर परोपकार के लिए है और इस परोपकार एवं निःस्वार्थ सेवा का अनूठा उदाहरण सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल है। संस्था द्वारा जो सेवा कार्य किया जा रहा है वह मानव सेवा का अतुलनीय उदाहरण है। छत्तीसगढ़ का यह बिना कैश काउंटर वाला अनोखा अस्पताल पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। यहां हर वर्ष सैकड़ों बच्चे हृदय रोग का निःशुल्क इलाज कराकर स्वस्थ होकर जाते हैं।

फर्जी गेट पास बनाकर आयरन कोर चोरी करने वाले गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार

» 2 लाख रूपये का आयरन बरामद भूपदेवपुर पुलिस की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। रिपोर्टकर्ता पवन कुमार शर्मा पिता उमाराम शर्मा एजीएम विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमि. भूपदेवपुर ने दिनांक 10/10/2019 को एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर थाना भूपदेवपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 10/10/2019 को विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर (ई) प्रायवेट लिमिटेड भूपदेवपुर से फर्जी टोकन से जालसाजी, धोखाधडी कर 30 मिट्रिक टन आयरन ओर कम्पनी से पार किया गया है, आवेदन पत्र की जांच पर गेट पास टोकन नंबर 28 दिनांक 10/10/2019 के रात्रि 2.12 बजे ट्रेलर क्रमांक सीजी 13 डी 5102 के चालक कादिर एवं उसके साथी साजिद अली ऊर्फ बबलू के द्वारा साईडिंग गेट मे तैनात गार्ड लेखराम पटेल से मिलीभगत कर फर्जी टोकन गेट पास प्राप्त कर साईडिंग के अंदर प्रवेश कर लोडिंग पाईंट से जालसाजी कर करीब 30 मिट्रिक टन आयरन ओर कीमती 2,00000/ रूपये को लोड कराकर बिना कांटा कराये फर्जी बिल्टी से साईडिंग से लोड आयरन ओर सहित गेट मे तैनात गार्ड उजीत राम गोड के साथ षडयंत्र पूर्वक आवक जावक रजिस्टर मे कूटरचित कर धोखाधडी जालसाजी कर रात्रि 2.50 बजे ट्रेलर क्रमांक सीजी 13 डी 5102 में लोड आयरन ओर को बाहर चोरी से ले गए, जिस पर अपराध धारा 420, 465, 468, 471, 120बी,34 भादवि. का पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी (1) टेलर चालक अब्दुल कादिर पिता मुमताज कादिर उम्र 24 वर्ष सा. वेलकम ढाबा उर्दना रायगढ (2) गार्ड लेखराम पटेल पिता भोजकुमार पटेल उम्र 35 वर्ष सा. दर्री थाना भूपदेवपुर, (3) गार्ड उजीत राम गोड पिता कांशीराम गोड उम्र 33 वर्ष सा. आमापाली थाना सक्ती, (4) कांटा आपरेटर चंद्रभान चौहान पिता सुरेन्द्र चौहान उम्र 29 वर्ष सा. लामीदरहा थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ, (5) कांटा आपरेटर हरेन्द्र कुमार चौहान पिता शांति कुमार उम्र 34 वर्ष सा. तिलाईपाली थाना भूपदेवपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण में अन्य आरोपियों की पता साजी की जा रही है।

9 हजार रूपये के जालीनोट व प्रिंटर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, लैलूंगा पुलिस की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना लैलूंगा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक विजय एक्का को मुखबीर से सूचना मिला कि संदेही मनोज कुमार चौहान पिता कमल साय चौहान उम्र 28 वर्ष सा0 सुबरा थाना लैलूंगा ग्राम सिहारधार पंचायत भवन के पास नकली नोट खपाने के लिये ग्राहक ढुंढ रहा है। सूचना पर सउनि विजय एक्का एवं हमराह आरक्षक हरीश पटेल द्वारा मौके जाकर बताये गये संदेही मनोज कुमार चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ किये जो नकली नोट खपाने के लिये 500-500 के कुल 18 नोट कुल 9000/- को अपने पास रखना बताया तथा आरोपी मनोज चौहान द्वारा आरोपी दीपक कुमार भोय पिता टंकेश कुमार भोय निवासी केसला के प्रिंटर में पैसे को प्रिंट कराकर प्राप्त करना बताने पर आरोपी दीपक भोय को गिरफ्तार किया गया है। घटना के संबंध में थाना लैलूंगा में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 224/19 धारा धारा 489 क, ख, ग, ता0हि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

ट्रक ड्राइवर व खलासी से लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

» लूट के चंद घंटे बाद ही जुटमिल पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफतार, लूटी रकम व मोबाइल, रिकवर

न्याय साक्षी/रायगढ़। जूटमिल टी.आई. अंजना केरकेट्टा एवं उनके मातहत स्टाफ की सक्रियता से दिनांक 12.10.19 की रात ट्रक ड्राइवर व खलासी से लूटपाट करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों से लूटी गई मशरूका बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर मो. आरीफ खान पिता मो. सफीक खान उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम खैरी थाना कान्हीवाडा जिला सिवनी (म.प्र.) दिनांक 11.10.19 के दोपहर 12 चक्का ट्रक क्रं. सी.जी. 04 जे.डी. 4001 में नरसिंहपुर म.प्र. से जी.आई. तार बंडल को खलासी सहबाज खान के साथ रायगढ़ लेकर आया था। दिनांक 11.10.2019 के रात तार बंडल को खाली करने के लिये सावीत्री राईस मिल जा रहा था कि सावीत्री राईस मिल के गली में कच्ची सडक में गाडी कीचड़ में फंस जाने से ड्राइवर और खलासी गाड़ी मे ही सो रहे थे कि रात्रि करीब 02:00 बजे बिना नम्बर होन्डा एक्टीवा में तीन व्यक्ति आये और ड्राइवर और खलासी को जगा कर बोले कि ट्रक को यहां से हटाओ हमारी गाड़ी आ रही है ट्रक ड्राइवर द्वारा गाड़ी फंसी है सुबह निकल पाएगी बोलने पर तीनों लड़के खलासी और ड्राइवर से गाली-गलौच कर राड, चाकू से मारपीट कर ड्राइवर से रू. 2000 और खलासी का मोबाइल लूट कर भाग गए।

घटना की रिपोर्ट ड्राइवर द्वारा पुलिस चौकी जूटमिल (कोतवाली) में करने पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 886/19 धारा 394,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दरमियान ड्राइवर व खलासी से पूछताछ कर आरोपियों के हुलिया के आधार पर जूटमिल स्टाफ द्वारा सावित्रीनगर, छातामुड़ा आसपास दबिश दी गई जिसके बाद तीनों संदेही महादेव यादव, कमल निषाद व पुष्पेंद्र दुबे को हिरासत में लिया गया जिनकी पहचान ड्राइवर वहां खलासी से कराई गई है , जिन्होंने तीनों की पहचान किये है। आरोपियों ने भी अपना जुर्म स्वीकार किया है जिनसे लूटी गई मोबाइल व रू. 2000 नगद बरामद किया गया है। आरोपी - 1- महादेव उर्फ नारायण यादव पिता दउवा उर्फ दादू लाल यादव उम्र 36 साल छातामुड़ा चौक जूटमिल 2- कमल निषाद पिता गया लाल निषाद उम्र 23 साल निवासी छातामुड़ा चौक 3-पुष्पेंद्र दुबे पिता गौतम दुबे उम्र 27 साल निवासी टरकुमुड़ा चौकी जूटमिल को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। पूरी कार्यवाही में टी.आई. जुटमिल व उनके स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है।

माताओं एवं बच्चों को स्वस्थ रहना चाहिए-मुख्यमंत्री

» लोकवाणी कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना ग्राम जुर्डा वासियों ने

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता की तीसरी कड़ी %लोकवाणी % को आज आंगनबाड़ी केन्द्र जुर्डा में ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक सुना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुपोषण अभियान बच्चों के कुपोषण को दूर करने सहित गर्भवती माताओं एवं शिशुवती माताओं के लिए बहुत लाभकारी है। उन्होंने कहा कि जच्चा और बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, इसलिए प्रदेश में सुपोषण अभियान की शुरूआत की गई है। उन्होंने कहा कि यदि 15 से 39 वर्ष की महिलाओं में खून की कमी होगी तो अपने परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभा पायेंगी। यदि माता कुपोषित है और रक्त की कमी है तो वह किस प्रकार स्वस्थ शिशु को जन्म देगी। जिस बुनियाद पर परिवार, प्रदेश और देश की ईमारत खड़ी होनी है, उस ईमारत को कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से समुदाय की समुचित भागीदारी स्थानीय जनता की रूचि पर बल दिया गया है तथा पूरक पोषण आहार देने की व्यवस्था में अमूल-चूल बदलाव कर सुपोषण अभियान का कार्यक्रम लागू किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी।

ग्राम-जुर्डा के सरपंच जयंत किशोर प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बातों पर अमल करने से प्रदेश कुपोषण से मुक्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यदि सही स्वास्थ्य के साथ शिक्षा का स्तर सही रहे तो निश्चित ही हमारा जिला और प्रदेश तरक्की की राह की ओर अग्रसर होगा। कुपोषण के बारे में जितनी जागरूकता जनसामान्य को हो सके उतना ही अच्छा है। उन्होंने सभी ग्रामवासियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए आग्रह किया। परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास ग्रामीण श्रीमती सुरेखा पारे ने कहा कि महिलाओं को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, उन पर परिवार की जिम्मेदारी रहती है। महतारी जतन योजना के तहत गर्भवती माताएं आंगनबाड़ी केन्द्र में आकर भोजन ग्रहण करें। उन्होंने शिशुवती माताओं से भी आग्रह किया कि अधिक से अधिक बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र भेजे। लोकवाणी कार्यक्रम के संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए गर्भवती माता श्रीमती जयंती श्रीवास ने कहा कि गर्भवती माताओं को स्वस्थ रहना चाहिए, उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। मुख्यमंत्री की यह बात उन्हें बेहद अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जच्चा एवं बच्चा को स्वस्थ रहना चाहिए। जुर्डा निवासी श्रीमती मीरा पटेल ने कहा कि नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन रही है। श्रीमती यशोदा विश्वकर्मा ने कहा कि सुपोषण अभियान से प्रदेश एवं जिले में कुपोषण दूर हो सकेगा। इस अवसर पर पर्यवेक्षक श्रीमती श्यामा सराफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सचिता प्रधान, गांव की श्रीमती बिन्दु सिदार, आरती विश्वकर्मा, जयंती खम्हारी, सुचिता साहू सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित थे।

फूड सेफ्टी लाइसेंस बनवाने के लिए व्यापारियों ने दिखाया उत्साह

» 100 से अधिक फार्म वितरित ,नवीनीकरण में भी है यही प्रक्रिया

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में आगामी कुछ दिनों में लगाए जाने वाले फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस कैंप के फार्म वितरित किए जा रहे हैं। जिसमें 100 से अधिक व्यापारियों ने फार्म प्राप्त कर लिए हैं।अभी फार्मो का वितरण जारी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए चेंबर महामंत्री हीरा मोटवानी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर खाद्य पदार्थों की निर्माण एवं विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों में आकस्मिक जांच करके उनकी सैंपलिंग की जाती है। इसी क्रम में इन प्रतिष्ठानों को एक लाइसेंस लेना भी अनिवार्य होता है परंतु कई व्यापारी इसमें उदासीनता बरतते हैं और फिर उन्हें कड़ी कानूनी कार्यवाही से गुजरना होता है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा चेंबर को आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची सौंपी गई है जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता , निर्माता और पैकेजिंग करने वाले जिन व्यापारी बंधुओं का टर्नओवर 12 लाख से कम है। उन्हें अपना आवेदन फार्म तथा 100 प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष का चालान हटाकर अपने बिजली बिल वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड दुकानदार के दो प्रतियों में फोटो ,कारोबार की सूची जैसे विक्रय करते हैं या निर्माण करते हैं दुकान होने का सबूत और एक ईमेल आईडी चेंबर के दफ्तर तक पहुंचानी है। ठीक उसी तरह जिन व्यापारी भाइयों का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर है उन्हें इन सभी दस्तावेजों के अलावा विक्रय स्थल का फोटो तथा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का फॉर्म भरकर देना है तथा शुल्क के रूप में व्यापारी होने की दशा में 2000 निर्माता होने की दशा में 3000 और पैकेजिंग करने वाले प्रतिष्ठानों को 5000 की धनराशि का चालान पटाना है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480